संख्या-134/2022/I/233475/2022/71-2099-58-2022

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -2 लखनऊ : दिनांक 10 नवम्बर, 2022

विषय:-एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के आवासीय परिसर के विभिन्न सबस्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर स्थापित करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/ई0ई0(ई0)/ई0-240/754/2022, दिनांक 03-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के आवासीय परिसर के विभिन्न सबस्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर स्थापित करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03-02-2022 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के आवासीय परिसर के विभिन्न सबस्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर स्थापित करने हेतु आंकलित लागत रू0 967.08 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 483.54 लाख (चार करोड़ तिरासी लाख चौवन हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(i) निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षत स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(iii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा।

(iv) निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(v) प्रायोजना प्रस्ताव को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(vi) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त का कार्य न तो पूर्व में स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

(viii) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(ix) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(x) प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि व कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाए। कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,83,54,000 (रूपये चार करोड तिरासी लाख चौवन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-329/दस-2022-23, दिनांक-03 नवम्बर, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-134/2022/1/233475/2022/71-2099-58-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
(5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
(6) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
(8) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
(9) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।